भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2623

05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पीएम किसान योजना के लिए आधार सीडिंग

2623. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदेः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को पता है कि बड़ी संख्या में पात्र किसान तकनीकी त्रुटियों, जैसे गलत आधार सीडिंग, निष्क्रिय या फ्रीज बैंक खाते और बैंकों द्वारा लगाए गए गैर-रखरखाव शुल्क के कारण पीएम-किसान योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने में असमर्थ हैं;

(ख) ऐसे लाभार्थियों, जिनके भुगतान पिछले तीन वर्षों में बैंकिंग और ऐसी आधार संबंधी समस्याओं के कारण विफल या विलंबित हुए हैं, का ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है;

(ग) किसानों को समय पर और सटीक लाभ प्रदान किया जाना सुनिश्चित करने के लिए आधार प्रमाणीकरण और बैंक खाता सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) भुगतान विफलताओं का सामना कर रहे किसानों की सहायता के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग) पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2019 में कृषि योग्य भूमिधारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे अंतरित किया जाता है। पीएम-किसान योजना के अंतर्गत, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि योग्य भूमिधारक होना प्राथमिक पात्रता मानदंड है, जो उच्च आय वर्ग से संबंधित कुछ अपवादों के अधीन है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ देश भर के सभी किसानों तक बिना किसी बिचौलिए की भागीदारी के पहुंचे । लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने योजना की शुरुआत से अब तक 20 किस्तों के माध्यम से अब तक रुपए 3.90 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि वितरित की है।

योजना का लाभ पीएम-किसान पोर्टल पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सत्यापित आंकड़ों के आधार पर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थियों को अंतरित किया जाता है।

किसानों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने और योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता एवं दक्षता लाने के लिए, पीएफएमएस (PFMS), यूआईडीएआई (UIDAI) और आयकर विभाग के साथ एकीकरण सहित कई तकनीकी हस्तक्षेप शुरू किए गए। इसके अतिरिक्त, भूमि सीडिंग के साथ-साथ आधार आधारित भुगतान और ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया। यह सब सुनिश्चित करता है कि योजना का लाभ किसानों तक निर्बाध रूप से पहुँचे। आंकड़ों में किसी भी विसंगति की स्थिति में, रिकॉर्ड को सुधार के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को वापस भेज दिया जाता है और सही आंकड़े प्राप्त होने पर, आगामी रिलीज़ के साथ लाभ तुरंत जारी कर दिए जाते हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का लाभ लाभार्थियों तक सफलतापूर्वक पहुँचे, 13वीं किस्त (दिसंबर 2022 - मार्च 2023) से पीएम-किसान के तहत लाभ जारी करने के लिए आधार-आधारित भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि योजना का लाभ लाभार्थी के आधार-लिंक्ड खाते में अंतरित हो। इससे खाता-आधारित भुगतान की समस्या समाप्त हो गई है, जिसमें बैंकों के विलय के कारण डेटा प्रविष्टि त्रुटियों और खाता विवरण में परिवर्तन की संभावना रहती थी। परिणामस्वरूप, 19वीं किस्त में 99.92% लेनदेन सफलता दर देखी गई।

यदि कोई लेनदेन फिर भी विफल होता है, तो उसे समय-समय पर पुनः प्रोसेस किया जाता है। लेनदेन विफलता के प्रमुख कारण बैंक द्वारा एनपीसीआई मैपर से आधार संख्या का डी-सीडिंग, खाता संख्या से आधार का मैप न होना और खाता बंद होना हैं। ऐसे मामलों में, किसानों और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को त्रुटि सुधार और उनकी ओर से लंबित कार्रवाई के लिए सूचित किया जाता है। त्रुटि सुधार के तुरंत बाद, आगामी रिलीज़ के साथ लाभ तुरंत जारी कर दिए जाते हैं।

(घ) पीएम-किसान योजना के तहत किसानों के समक्ष आने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध हैं।

- सीपीग्राम्स पोर्टल
- पीएम-किसान पोर्टल
- पत्र और ईमेल

इसके अतिरिक्त, शिकायतों का तुरंत समाधान करने हेतु, सितंबर 2023 में एक एआई-आधारित किसान ई-मित्र चैटबॉट शुरू किया गया था। यह चैटबॉट, किसानों के प्रश्नों का चौबीसों घंटे उनकी मातृभाषा में त्वरित, सटीक और स्पष्ट उत्तर प्रदान करता है, जिससे यह प्रणाली अधिक सुलभ और यूजर-फ्रेंडली बन जाती है। यह वेब, मोबाइल आदि सभी प्लेटफार्मों पर उपलब्ध है। वर्तमान में, किसान ई-मित्र चैटबॉट 11 भाषाओं-अंग्रेजी, हिंदी, उड़िया, तमिल, बंगाली, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु और मराठी में काम करता है और दिनांक 15.07.2025 तक 53 लाख किसानों के 95 लाख से अधिक प्रश्नों का सफलतापूर्वक समाधान कर चुका है।

*****